

समाहरणालय, पटना।
(जिला स्थापना शाखा)

फोन नं० 0612-2219545(का०)
फैक्स नं०-0612-2218900
E-mail-edcpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आदेश

भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के पत्रांक-287 दिनांक 20.03.2014 एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के पत्रांक-276 दिनांक 22.02.2014 द्वारा अनुरोध के आलोक में संविदा पर नियोजित निम्नांकित कार्यपालक सहायकों द्वारा बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने एवं स्वेच्छा से त्यागपत्र दिये जाने के कारण उनका नियोजन रद्द किया जाता है, जो निम्नवत् है :-

क्र०	कार्यपालक सहायक का नाम/पिता का नाम	पदस्थापित कार्यालय के नाम	अभियुक्ति
1	श्री रवि कुमार, पिता-श्री योगेन्द्र प्रसाद	भूमि सुधार उप समाहर्ता का कार्यालय, पटना सिटी	बिना सूचना के अनुपस्थित
2	श्री कुमार राजेश, पिता-श्री मुन्ना प्रसाद गुप्ता	भूमि सुधार उप समाहर्ता का कार्यालय, दानापुर	स्वेच्छा से त्यागपत्र

उपर्युक्त अभ्यर्थियों द्वारा बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने एवं स्वेच्छा से त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्तियाँ के आलोक में जिला में तैयार पैनल से दिनांक 01.02.2014 को आयोजित काउंसिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये सहमति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में निम्नांकित शर्तों के अधीन पदस्थापित किया जाता है, जो निम्नवत् है :-

क्र०	नाम/पदनाम	पता	आरक्षण कोटि	रोस्टर बिन्दु	वर्तमान पदस्थापित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मो० बेलागुडडीन, कार्यपालक सहायक मो०-9304102333	पिता-मो० फारूख, मोगल पुरा, दुरुखी पटना सिटी, पो०-झाऊगंज, थाना-खाजेकलां, पटना	आरक्षित	अनारक्षित	भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी	
2.	श्री अंशु कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक सहायक मो०-9905579715	पिता-श्री अजय श्रीवास्तव, पश्चिमी शिव मंदिर के निकट, देवी स्थान के नजदीक, चाँदमारी रोड, चुटकुला नन्द गली, पटना	अनारक्षित	अनारक्षित	भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर	

- (i) इनका चयन प्रथम चरण में 01 (एक) वर्ष के लिए होगा।
- (ii) कार्यपालक सहायक को कार्य करने हेतु अपने साथ अपने स्वयं के खर्च पर निम्नांकित उपकरण रखना होगा।
- (क) एक डेस्क टॉप कम्प्यूटर
- (ख) एक लेजर प्रिन्टर (Black & White)
- (ग) एक यू०पी०एस०
- (घ) इन्टरनेट कनेक्शन

(iii) भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के कार्यालय में नियोजित कार्यपालक सहायक को मानदेय के रूप में मासिक राशि 9,000.00 (नौ हजार) रुपये का भुगतान उपस्थिति के अनुरूप उनके पदस्थापन कार्यालय के व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में प्राप्त होनेवाले आवंटन से कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। उसमें मात्र लगनेवाला पेपर, प्रिन्टर कार्ट्रिज आदि (Consumables) की आपूर्ति पर होने वाले मासिक व्यय की प्रतिपूर्ति कार्यालय व्यय से संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा की जाएगी।

चयनित कार्यपालक सहायक को निदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति के साथ निश्चित रूप से अपना योगदान संबंधित कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं देने पर आपका दावा समाप्त समझा जाएगा। वित्तीय लाभ योगदान की तिथि से देय होगा।

- (i) इन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश देय होगा।
- (ii) वे अपने संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सौंपे गये कार्यों एवं निदेशों का ससमय अच्छे ढंग से निष्पादन/अनुपालन करेंगे। कार्यों में लापरवाही/संपादित कार्य के असंतोषजनक पाये जाने पर बिना नोटिस इन्हें नियोजन से हटाने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।
- (iii) संविदा पर उपरोक्त प्रकार से नियोजित अभ्यर्थी का सरकारी सेवा में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियोजन की उपरोक्त शर्तों को मानने संबंधी एकरारनामा प्रस्तुत करने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जाएगा।

81-
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक-XXIX-04/14-1230/स्था0, पटना, दिनांक-24/05/14

- प्रतिलिपि :- संबंधित चयनित कार्यपालक सहायकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी/दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से इस मद में आवंटन प्राप्त कर संबंधित कर्मियों को मानदेय भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, आई0 टी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से सभी संबंधित कार्यपालक सहायकों को ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से योगदान कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी,
पटना।